Query - 1. Land details of proposed forest land with clear mention of plot no. etc. to be provided

Reply – Land Schedule of the area proposed for diversion is enclosed as Apendix I which is given below. The Land Khatiyan has already been enclosed as Annexure IV in the submitted forest diversion proposal.

Query - 2. Certificate issued under FRA by DC, Koderma to be a provided.

Reply – NoC Certificate issued under FRA 2006 by Deputy Commissioner, Koderma is enclosed as Apendix II which is given below.

Query – 3. CA land has been proposed in Gumla district. So CA scheme prepared and signed by DFO Gumla is to be provided. Similarly map of CA land to be signed by DFO Gumla.

Reply – Copy of CA Scheme & Map is enclosed as Apendix III which is given below. The same has already been submitted at your good office by DFO, Gumla

Query -4. Hard copy has been signed by only one of the applicants. It should be signed by all the three applicants. In case there is some authorised signatury authorization or declearation by all the three applicants should be provided. In the same way undertaking to be signed by all the three applicants.

Reply – Legal Status of User agency is private through registered Partnership Firm in the name & style of RAM CHANDER MEHTA MANOJ KUMAR MEHTA AMITABH KUMAR vide registered deed no 3782/176/2015 at District Register Office, Koderma. Refer to para of 5 of registered partnership deed, Sri Ram Chander Mehta is the authorised signatory to sign all the Government files in respect of Partango Stone Mine. Copy of registered deed no 3782/176/2015 at District Register Office; Koderma is enclosed as Apendix IV which is given below. The same has already been enclosed as Annexure IX in the submitted forest diversion proposal.

Query – 5. The copy of resolution passed by gram sabha to be provided.

Reply – Copy of resolution passed by gram sabha has already been enclosed as Annexure XI in the submitted forest diversion proposal. However the copy of the same is enclosed as Apendix IV

LAND SCHEDULE IN RESPECT OF PARTANGO STONE MINE OVER AN AREA OF 10.16 HA/25.11 ACRES IN VILLAGE PORTANGO, APPLIED FOR FOREST DIVERSION BY M/S RAM CAHNDER MEHTA MANOJ KUMAR MEHTA AMITHABH KUMAR, KODERMA

#### **LAND SCHEDULE**

SI no	Name of Village	Khata No	Plot No	Type of Land	Total Area in Acres	Applied Area in Acres
1	Portango	20	2	Pahar	50.50	25.11
	Tota	al Area Applied f	or Forest D	iversion		25.11

दिनांक 19.02.2016 को श्री संजीव कुमार बेसरा (भा०प्र०से०) उपायुक्त, कोडरमा के अध्यक्षता में जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही:-

आज दिनांक-19.02.16 को उपायुक्त, कोडरमा के अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में 04:00 बजे अपराह्न में सम्पन्न हुआ जिसमे निम्नलिखित पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित हुए:- उपस्थित-पंजी के अनुसार।

#### -ः कार्यवाही :-

बरही रजौली राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-31 पर 04 लेनिंग सड्क निर्माण :-

अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकारी समिति, कोडरमा के पत्र सं0-04/मु0, दिनांक-13.02.16 के द्वारा बरही रजौली राष्ट्रीय राज्यमार्ग सडक निर्माण हेतु ग्राम-मेघातरी मे दिनांक-29.01.16 को मुखिया ग्राम पंचायत मेघातरी के अध्यक्षता मे तथा दिनांक-10.02.16 को पंचायत-छतरबर के मुखिया के अध्यक्षता में उपस्थित ग्रामिणों द्वारा वन सम्पन्न ग्राम सभा 43.870 हेक्टयर वन भूमि अपयोजन हेतु सहमती प्रदान करते हुए ग्रामीणों के द्वारा सडक निर्माण हेतु कोई आपित नहीं किया गया है। उक्त सडक निर्माण हेतु 43.870 हे0 वन भूमि कोडरमा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत चेचाई तथा मेघातरी में बरही रजौली राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या-31 का 04 लेनिंग हेतु 43.870 हेक्टयर वन भूमि वन अधिकार अधिनियम के तहत् 1.00 हे0 तक का अपयोजन तथा शेष वन भूमि हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजने हेतु जिला स्तरीय वन अधिकार सिमित को भेजने का निर्णय लिया गया है, प्राप्त है।

उक्त के क्रम में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा बरही रजौली राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या-31 का 04 लेनिंग हेतु 43.870 हेक्टयर वन भूमि वन अधिकार अधिनियम के तहत् अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

डी.एफ.सी.सी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु वन भूमि का अधिग्रहण :-

अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकारी समिति, कोडरमा के पत्र सं0-128/स0, दिनांक-13.02.16 के द्वारा प्रखण्ड चन्दवारा अन्तर्गत मौजा चौराही, घुट्टीटांड, पिपराही एवं महुवादोहर में डी.एफ.सी.सी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अधिग्रहण किये जाने वाले वन भूमि के लिए दिनांक-03.02.16 को ग्राम पंचायत भौण्डों के ग्राम चौराही में मुखिया ग्राम पंचायत भौण्डों के अध्यक्षता में प्लॉट सं0-26, 25, 89, 95 एवं 96 दिनांक-04.02.16 को ग्राम पंचायत भौण्डों, ग्राम पिपराही में उक्त निर्माण हेतु प्लॉट सं0-07, 08, 09 एवं 13 तथा ग्राम-महुआदोहर में प्लॉट सं0-08, 09, 11, 12, 21, 22 एवं 37 पर ग्राम सभा अध्यक्ष सह मुखिया के अध्यक्षता में ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा में डी.एफ.सी.सी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु वन भूमि अधिग्रहण पर सहम्मती प्रदान किया गया है ग्राप्त है।

अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार सिमिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर, जिला स्तरीय वन अधिकार सिमिति के द्वारा ग्राम सभा मे पारित उपरोक्त प्लॉट संठ के अन्तर्गत DFCC के द्वारा अधियाचित कुल रकवा-179.04 एकड़ वन भूमि का अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार सिमिति, कोडरमा का ज्ञापांक-05/मु0 दिनांक-13.02.16 के द्वारा कोडरमा अंचल अन्तर्गत ग्राम गुमो के खाता सं0-02 एवं 41 के अन्तर्गत 07.20 एकड़ वन भूमि तथा ग्राम विशुनपुर के खाता सं0-01, 04 एवं 09 के अन्तर्गत 09.37 एकड़ वन भूमि का अनापित प्रमाण पत्र ग्राम सभा द्वारा पारित, प्राप्त है।

प्राम सभा तथा अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर उपरोक्त प्लॉट के अधिसूचित तथा जंगल-झाडी वन भूमि का अधियाचित कुल-16.57 एकड़ वन भूमि का अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया। खनन कार्य हेतु वन भूमि का अपयोजन:-

अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति के पत्रोक-1053/स0 दिनांक-19.12.15 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधान के अन्तर्गत वन भूमि का अपयोजन के मामले में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रवधानों के तहत् हर्षवर्धन पाण्डेय, ग्राम-शिवपुर, पोस्ट-डोमचांच, जिला-कोडरमा के द्वारा कोडरमा जिला अन्तर्गत डोमचांच अंचल के मौजा लंगरापारस के पी.एफ. खाता सं0-02, प्लॉट नं0-22 के अंश के रकबा-1.83 एकड (वन भूमि का क्षेत्रफल खाता सं0-1339, प्लॉट नं0-06, रकबा-1.17 एकड वन भूमि का क्षेत्रफल) नवीकरण के संबंध में अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव वन भूमि अपयोजन नवीकरण हेतु ग्राम सभा 14.03.11 को सम्पन्न है।

अतः समिति द्वारा पुनः वन भूमि अपयोजन हेतु ग्राम सभा कराने के लिए अनुमण्डल स्तरीय समिति को प्राप्त प्रस्ताव वापस करने का निर्णय लिया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति कोडरमा के पत्र सं0-1054 दिनांक-19.12.15 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रवधानों के अन्तर्गत तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत् रामचन्द्र मेहता मनोज मेहता अमिताध मुमार, ग्राम-बिगहा, पोस्ट फुलवरिया, जिला कोडरमा के अन्तंगत थाना सं0-354 मौजा परतांगों अंचल डोमचांच के खाता सं0-20, प्लॉट नं0-02, रकबा- 25.11 एकड वन क्षेत्र पर पत्थर खनन कार्य हेतु पट्टा स्वीकृति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के धारा 3(2) के तहत् प्रक्रिया पूर्ण कर अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान कर पारित किया गया है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल के पत्रांक-1852, दिनांक-29.07.15 के द्वारा सूचित किया गया है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत मौजा परतांगो के खाता 10-20 प्लॉट नं0-02 अंश रकबा-25.11 एकड वन क्षेत्र पर खनन कार्य के बदले जिला गुमला के मौजा गौमट एवं बाराडीह में कुल रकबा 25.64 एकड क्षतिपूर्ति वन गोपन केतु जमीन का रजिस्ट्री करा लिया गया है जो वन रोपन के लायक एवं उपयुक्त

ग्राम सभा में लिये गये निर्णय के क्रम में अनुमण्डल पदाधिकारी-सह -अध्यक्ष अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परापरागत बन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रवधानों के तहत् मीजा परतांगो अंचल डोमचांच के खाता सं0-20 प्लॉट सं0-02 (अंश) रकवा-25.11 एकड् वन भूमि का अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया। कार्यवाही की प्रति मुख्य वन संरक्षक, रांची को भेजने का भी निर्णय लिया गया। सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त किया गया।

भी बीरबल बेसरा, सदस्य

श्री झारखण्डी दुइ, सदस्य, करमीकुण्ड, कोडरमा।

श्री नन्द किशोर मुर्मू, सदस्य, ग्राम-डगरनावा, मरकच्चो।

गम-खिरीकला, सतगांवा

जिला कल्याण पंदाधिकारी-सह-सचिव, जिला कारीय वन अधिकार समिति, कोहरमा ।

कोडरमा ।

उपायुक्त-सह-जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, कोडरमा।

उति । - मुख्य वन खेरसक आरखण्ड सरकार राजी को अन्यनार्ग डिविट ।

जिला कल्याण पदाधिकारी 20 को डरमा



#### Office of the Deputy Commissioner, Koderma (Welfare Section)

#### FORM-I

Memo no.-...89...../WEL

Dated-...2..../02/2016

### To Whowsoever It May Concern

In Compliance of the Misnistry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued cerfain relaxation in respect of linear projects it is certified tha 25.11 Acars (10.16 hectares) of forest land proposed to be diverted in favour of Ramchandra Mehta Manoj kumar Mehta Amitabh kumar (name of user agency) for stone mines (purpose for diversion of forest land) in Koderma district falls within jurisdiction of Partango village(s) in Domchanch tehsils.

It is further certified that:

- (a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire—50.50—Acars of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 'A' to annexure 'C'
- (b) The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consents to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

(Full name and seal of the District Collector)

12/2/14



## Office of the Deputy Commissioner, Koderma (Welfare Section)

#### FORM-II

Memo no.-... WEL

Dated-.23./02/2016

#### To Whowsoever It May Concern

In Compliance of th;e Misnistry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 25.11 Acars (10.16 hectares) of forest land proposed to be diverted in favour of Ramchandra Mehta Manoj kumar Mehta Amitabh kumar (name of user agency) for Partango stone mines (Purpose for diversion of forest land) in Koderma district falls within jurisdiction of Partango village(s) in Domchanch tehsils.

#### It is further certified that:

- (a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 25.11 Acars (10.16) hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 'A' to annexure 'C'
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its impliocations, in vernacular/local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they hgave given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Partango villages(s) is enclosed as annexure 'A' to annexure.
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken pace only when there has a quorum of minimum 50% of the members of Gram sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above

(Full name and seal of the District Collector)

## कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा।

(सामान्य शाखा)

पत्रांक. / ० ५५ / सा०

प्रेषक:-

अनुमण्डल पदाधिकारी,

-सह-

अध्यक्ष, अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति,

कोडरमा।

सेवा में,

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिलास्तरीय वनाधिकार समिति, कोडरमा।

दिनांक. 19.11.2.1./2015

विषय:- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग:- जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा का पत्रांक-619/क0, दिनांक-05.12.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में कहना है कि श्री रामचन्द्र मेहता मनोज मेहता अमिताभ कुमार, ग्राम-बिगहा, पो0-फुलविरया, जिला-कोडरमा के द्वारा कोडरमा जिलान्तर्गत थाना नं0-354, मौजा-परतांगो, खाता नं0-20, प्लॉट नं0-02, रकवा-25.11 एकड़ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत भूमि अपयोजन हेतु प्राप्त हुआ।

अतः आवेदक द्वारा प्राप्त मूल कागजातों एवं अनुमण्डलस्तरीय वन अधिकार समिति की कार्यवाही संलग्न कर जिलास्तरीय वन अधिकार समिति, कोडरमा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

संलग्न:-यथोकत

विश्वासभाजन,

अनुमण्डल पदाधिकारी,

-सह-

अध्यक्ष, अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति, कोडरमा।

दिनांक-19/12/2015 को अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा के अध्यक्षता में : 01 : अनुण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति कोडरमा अनुमण्डल अन्तर्गत कोडरमा वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच अंचल अन्तर्गत मौजा परतांगो के खाता नं0-20, प्लॉट नं0-02, रकवा-25.11 एकड़ वन भूमि पर भूमि अपयोजन हेतु ग्राम सभा करा कर उपलब्ध कराई गई है, से संबंधित बैठक की कार्यवाही:-उपस्थिति पंजी के अनुसार

जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा के पत्रांक-619/क0, दिनांक-05.12.2015 कार्यवाही:-के द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी डोमचाँच के द्वारा मौजा-परतांगों के खाता नं0-20, प्लॉट नं0-02, रकवा-25.11 एकड़ वन भूमि पर पत्थर खनन हेतु वन भूमि अपयोजन हेतु ग्राम सभा करा कर ग्राम सभा का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसे अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष रखा गया। जिसमें निम्नलिखित बिन्दु पाये गये जो इस प्रकार है:-

- 1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन के मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुपालन में दिनांक 19.11.2015 को ग्राम पंचायत बगडो के ग्राम- परतांगो (गैठीबाद) में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच के पत्रांक - 16मु0 दिनांक 16.11.2015 के आलोक में कार्यकारी मुखिया पंचायत बगडो अध्यक्ष ग्राम वन समिति परतांगों (गैठीबाद) पंचायत सेवक ग्राम पंचायत बगडो, एवं वार्ड सदस्य गैठीबाद वार्ड नं0- 1 तथा ग्राम परतागों के 194 ग्रामीणों की उपस्थिति में रामचन्द्र मेहता मनोज कुमार मेहता अमिताभ कुमार ग्राम-बीघा पो०- फुलवरिया थाना- नवलशाही जिला-कोडरमा के द्वारा कोडरमा जिला अर्न्तगत जिला के डोमचाँच अंचल के थाना नं0-354, मौजा-परतांगो के खाता नं0-20, प्लॉट नं0-02, रकवा-25.11 एकड़ वन भूमि पर भूमि अपयोजन हेतु ग्राम सभा आयोजित की गई जिसे सर्वसम्मित से पारित किया गया। जो ग्राम सभा की प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच
  - 2. ग्राम सभा की कार्यवाही में उल्लेख किया गया है कि उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय में विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के उपरान्त निष्कर्ष निकला की उक्त अधिसूचित भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति/ आदिवासी/परम्परागत वन निवासी एवं गैर आदिवासी का उक्त अधिसूचित भूमि में कृषि कार्य, आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कोई कब्जा या दावा या कोई पर्टेदारी नहीं है। ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। इस उक्त अधिसूचित भूमि रामचन्द्र मेहता मनोज मेहता अमिताभ कुमार ग्राम-बिगहा, पो०-फुलवरिया, जिला-कोडरमा के द्वारा कोडरमा जिला अन्तर्गत थाना नं0-354, मौजा-परतांगो के खाता नं0-20, प्लॉट नं0-02 अंश, रकवा-25.11 एकड़ क्षेत्र पर भूमि अपयोजन हेतु पंचायत की सहमित प्रदान की जाती हे, प्रस्ताव सर्वसम्मित से पारित है। अपरोच रोड के लिए 0.11 एकड़, कुल रकवा-25.11 एकड़ सर्वसम्मित से पारित किया गया है।

- 3. ग्राम सभा बैठक परतांगों के प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि में उल्लेख किया गया है कि, ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यगणों की संख्या 194 एवं वरिष्ठ ग्रामवासी सुखदेव राणा, अर्जुन यादव, बालेशवर यादव, राजु यादव, प्रकाश राणा, प्रयाग यादव, एवं प्रभु यादव उपस्थित थे। जिसपर कार्यवाहक मुखिया डोमचाँच दक्षिणि, कार्यवाहक मुखिया डोमचाँच बगडो एवं पंचायत सेवक पंचायत बगडो का हस्ताक्षर अंकित है।
- 4. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन के मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत कोडरमा जिला के डोमचाँच अंचल के थाना नं0-354, मौजा-परतांगो के खाता नं0-20, प्लॉट नं0-02, रकवा-25.11 एकड़ वन भूमि पर पंचायत सेवक, कार्यवाहक मुखिया, ग्राम पंचायत-बगड़ो एवं कार्यवाहक मुखिया ग्राम पंचायत डोमचाँच दक्षिणी के द्वारा ग्राम सभा का सहमित पत्र के माध्यम से प्रमाणित किया गया है कि:-
  - (क) रामचन्द्र मेहता मनोज मेहता अमिताभ कुमार ग्राम-बिगहा, पो0-फुलविरया, जिला-कोडरमा के द्वारा कोडरमा जिला अन्तर्गत थाना नं0-54, मौजा-परतांगो के खाता नं0-20, प्लॉट नं0-02 अंश, रकवा-25.11 एकड़ क्षेत्र का पत्थर खनन पट्टा स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। मेरे पंचायत बगड़ो के ग्राम परतांगों के अधिसूचित प्लॉट नं0-02, अधिसूचना संख्या-3100, दिनांक-28.10.1961 द्वारा अधिसूचित प्लॉट है (इसका कुल रकवा-50.50 एकड़) है। उक्त भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
  - (ख) वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जन जाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा, ग्राम सभा की बैठक दिनांक-19.11.2015 को की गई है जिसमें ग्राम के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
  - (ग) ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जन जाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकता/ प्रक्रियाओं को पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
  - (घ) वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किये जानेवाले कार्य से पंचायत क्षेत्र की विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

अत: क्रमांक 01 से 04 तक अंकित तथ्यों के आलोक में अध्यक्ष, सचिव एवं सिमिति के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया एवं अनुशंसा किया गया है कि अग्रेतर कार्रवाई हेतु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, कोडरमा को भेजें। सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अनुमण्डल कल्याण पदा०, कोडरमा।

सहायक वन संरक्षक पदा० अनुमण्डल कोडरमा

अध्यक्ष, अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति, कोडरमा ज्ञापांक. 1.054 / दिनांक 19.11 रे. 12015

प्रतिलिपि:-उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति, कोडरमा को सूचनार्थ प्रेषित।

कोडरमा।

सहायक वन संरक्षक पदा0 कोडरमा

अध्यक्ष, अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति, कोडरमा

#### कार्यालय ग्राम पंचायत—बगड़ो, ग्राम सभा परतांगो, जिला—कोड़रमा, (झारखण्ड) ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

1. रामचन्द्र मेहता मनोज मेहता अमिताभ कुमार, ग्राम—बीघा, पोस्ट—फुलवरीया, जिला—कोड़रमा के द्वारा कोड़रमा जिला अन्तर्गत थाना नं0—354, मौजा—परतांगो के खाता नं0—20, प्लॉट नं0—02 अंश रकवा 25.00 एकडद्य क्षेत्र पर पत्थर खनन पट्टा स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। मेरे पंचायत बगड़ो के ग्राम—परतांगो के अधिसूचित प्लॉट नं0—02 अधिसूचना संख्या 3100 R dated 28.10.1961 द्वारा अधिसूचित प्लॉट है, (जिसका कुल रकवा 50.50 एकड़) है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारर्थ प्रस्तुत हुआ है।

2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जन जाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासीयों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 19 111 2015 को की गई, जिसमें ग्राम के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।

3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकता / प्रक्रियाओं को पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समक्ष लिया है।

4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभवना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/ सहमित व्यक्त करती है।

5

संलग्न :- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

दिनांक :-



प्रधान/सचिव प्रधान/सचिव मुख्या।१'॥ 208 मुख्या।१'॥ 208 डोमचाँच दक्षिणी प्रखण्ड-डोमचाँच


हस्ताक्षर पदनाम एवं मुद्रा सहित

टीप :- प्रस्ताव पर यदि ग्राम सभा सहमत हो तभी यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाये। यदि ग्राम सभा सहमत नहीं है तो प्रमाण पत्र न जारी किया जाये।

4

कार्यालय ग्राम पंचायत—बगड़ो, ग्राम सभा परतांगो, जिला—कोड़रमा, (झारखण्ड) प्रस्ताव सत्यप्रतिलिपि ग्राम सभा बैठक—परतांगो


	हस्ताक्षर्-	
पारित / अपारित	A Company of the Comp	
	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय में विस्तृत बर्चा की गई। चर्चा उपरान्त निकर्ण यह न्पादित अनुसूचित भूमें में अनुसूचित भूमें में अनुसूचित भूमें में अनुसूचित भूमें का उक्त आधिसूचित भूमें कृषि कार्य, आविवासी का उक्त अधिसूचित भूमें में कृषि कार्य, आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कोई कब्जा, या दावा या कोई पहेंदारी नहीं है। ऐतिहासिक स्मारक नहीं है इस हेतु उक्त अधिसूचित भूमें, रामचन्द्र मेहता मनोज कुमार, ग्राम–बीघा, पोठ—फुलवरीया, थाना–नवलशाही, जिला—कोइरमा के द्वारा कोइरमा जिला अन्तर्गत थानान0—354 मौजा—परतांगों के खाता न0—25, प्लॉट न0—02 अंश रकवा 25.00 क्षेत्र पर पस्थर खनन पट्टा हेतु पंचायत की सहमिति प्रदान की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमिते प्रदान की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमित प्रवान की जाती सुं सम्मति से पारित किया गया।	
प्रस्ताव क्रमाक एव ।वषय	प्रस्ताव क्रमांक वर्चा का विषय रामवन्द्र मेहता मनोज कुमार मेहता अमिताम कुमार, ग्राम-बीघा, पो0-फुलवरीया, थाना-नवलशाही, जिला— कोड्रस्मा के द्वारा कोड्रस्मा के द्वारा कोट्यमा निज्ञ अस्तर्गत थाना नं0-354 मीजा-परतांगो के खाता नं0-20, प्लॉट नं0-02 अंश रकवा 25.00 क्षेत्र पर परथर खन- पट्टा स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है, आवेदित 25.00 एकड़ अधिसूचित भूमे के लिये फोरेस्ट राईट एक्ट 2006 के अन्तर्गत कोई अनुसूचित जाति/जनजाति आदिवासी, परम्परागत वन निवासी एवं गैर आदिवासी, परम्परागत वन निवासी एवं गैर आदिवासी कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं, दावा है अथवा नहीं। भूमे का विवरण :- मीजा-परतांगो खाता नं0-20, प्लॉट सं0-02 अधिसूचित भूमि को वन्य भूमि - अधिसूचित वन क्षेत्र अधिसूचना सं0-20, एलंट सं0-02 अधिसूचित भूमि को वन्तर इंडा इंडा के अथवा नहीं। उन्तर हों हों हों अपरोच रहें छें। एकड़ हों। अपरोच रहें के लिये 0.11 एकड़ हों। असरोच रहें के लिये 0.11 एकड़ विस्तरका कुल रकवा 25.01 एकड़ हों	मुक्त पुरायत अमहो मुक्त पुरायत अमहो
उपस्थित सदस्यों के नाम	ग्राम समा के कुल सदस्यों की संख्या जान कुल सदस्यों उपस्थित सदस्यगणों की संख्या 19.4. एवं विश्वेष्ठ ग्राम वासी श्री पुरेष १०१० १४ देशक्ष १०१०	The state of the s
0 <del>4</del>		म्बाया मेवक





		) Date
9 Story	2:6/2 2/50	Page
10	4614 21011	
11	रायानं याद्व	
	HIM Ma Horas	
14	919-24 Urza 2181 MIRA	
16	II II II CITY	
17	2 adolde grant	
19	7	
, 4	ि।सद् थाह्य	
20	1619 MAR -164	
12	3/05 - 4/64	
23	MPS	
24	प्रसम्बर्धा राणा	
25	Meren Alica	
26	Kwams yu	
Resignation of the Control of the Co	प्रमार्थ भारत	
28	वेलर्ग गरिव	
29	उन्हें राणा	
30	रामदेव याद्व	
31	Chhopi Raroy) CISIZ 2/5/2/	
32	1314121712	

		Date Page 3
13.1 13.10	1451 2101	
36 2101 21 2/ 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/	रितंह	
37 Manyon 1	Christy Luce.	
30 Karesh 39 Romay 37 40 Lla 3 Km	2 Yadar	
42 Divesti	che 12 ara	
43 Samor	Posthals.	
45	प्रमीला देशे +	
76	रीयवा अस्तेत्व	
47	मीनवा देवी	
10	- कुनी देवी	
११ प्रना देवी		
50	ने लागा हैं।	
	खुवान देश	


68	Ramest Kumas Hay
69	Auvind Kumar Yadar
70	युनीशवारी देवी
7)	फुलव देवी
72	21 M2/ 21 UII
73	धमी देवी
74	युदामा देवी
75	मिनेज योद्ध
76	लीलवा देवी
77	द्वी
/8	102001214 6C
79	योजनम्बराग
81	Livra CTG?
82	
83	वासु देव राणा
84	योहन देवी
85	21187 (34)
	किनुन - प्राट्डा -







		Page 4	
6.8	Ramesh Kumas Itan		
69	Allvind Kumar Yadar		
70	भुग्रापरी हैत	A	
71	फुलव हेती	•	
72.	2:09/ 31611		
73	हामी देवी		
79	र्युदामा ट्रेनी	X	
75	मनेज यास्त	, a	
76	लीलवा देवी	2.3	
78	र गामिमा हेली 1 स्थाप 2 (पर स्वीर्ती	\$	
79	10120017,71140		
80	वीजनव राणा		
81	494 219		
83	वासुत्व यावा		
24	माहन हैती	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
D5	किसुन गर्दा	A Comment of the Comm	•





	Page 6
130	G991 69
131	St M2 121150
132	कलवा हैवी
133	1 (1 (C) 5 1 (C)
134	371 297
135	(Majala
- ) 36 -	लाइ नपा हैन
137	मंगित है। प्रियोग्यम 2001
134	्शिपात हैनी
140	(1/c) 2/1/c
141	मुक्ती देवी हुल गाइब
143	Roch Soft
749	and del
145	Harr Ed

ततिवती देवी विभेता हैन 161 162 712d 416a 153 भीगा हेली 164 श्रादित। अभारी काली भयोगात ५.२) हमीत सिवता हेवा वाना देवी ottal da भिष्टे गिर्मादिय 171 172 1:13 Marie Hill 179

	Page_5
100	Udesh pana
101	उपका राष्ट्रा
102	रेया देश-
103	व्यास्त्र व थादव
109	312 /0/1
10)	मुन्नोय हैती
106	जनता देवी
107	दारी देवी
108-8	भाला होन
	भीरवा हैकी
109	3112 a1 ¢ a
1/0	CNIONAGE 25A
The second secon	रंगोधी देवी
112	- अगल्डि - वि
113	Vacus 10
119	THE TANK ME
	मियम जगार्थापय

746	Page
747	Singa dif
148	Sanfosh Pennoon
150	23 297
153	8641 80A -10 41/2/14 (1011
144	B. 2107
155	Lin Pur Bal
157	2 Dawn 8 of
158	12/m/ 69/ Mo 24/891







Phone no. 06524-223003 (office)

e-mail:-dfogumla@yahoo.in 9470193849 (Mob.)

कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल।

पत्रांक 2653 / दिनांक 28-10:2015/

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल।

विषय :- गुमला वन प्रमण्डल के अन्तर्गत ग्राम-बराडीह एवं गोमट के गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वनरोपण का संशोधित प्राक्कलन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 2110 दिनांक 23.08.2015

महाशय.

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत मौजा—परतंगों के खाता संख्या—20 प्लॉट संख्या—02(पी0), रकबा—25.00 एकड़ क्षेत्र पर पत्थर खनन के प्रस्ताव के विरूद्ध गुमला वन प्रमण्डल के तहत ग्राम—बराडीह एवं गोमट के 10.12 है0 गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन आपको भेजा गया था। प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक —शून्य दिनांक 12.08.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान में उक्त प्रस्तावित योजना के कुल रकबा में 0.11 एकड़ approach road का क्षेत्रफल सम्मिलित किये जाने के कारण कुल रकबा—25.11 एकड़ हो गया है एवं तदनुरूप क्षतिपूरक वनरोपण के प्राक्कलन की मॉग की गई है। अतः उक्त गैर वन भूमि में 10.17 हे0 क्षतिपूरक वनरोपण का संशोधित प्राक्कलन एवं

क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। अनु0:— यथोक्त।

आपका विश्वासी

वन प्रमंडल पदाधिकीरी, गुमला वन प्रमंडल।

द्धेंडरमा जिला अन्तर्गत मौजा- परतंगो के खता संख्या-20 प्लॉट संख्या- 02 (पी0), रकबा-25.11 एकड़ क्षेत्र पर पत्थर खनन के प्रस्ताव के विरुद्ध गुमला वन प्रमण्डल में प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन

प्रमंडल का नाम :- गुमला वन प्रमण्डल स्थल के नान- बराडीह/गोमट

1. थाना / थाना सं0 :- घाघरा, 100 एवं 99

क्षेत्र का नाम :- गुमला वन क्षेत्र
 प्रखण्ड का नाम :- घाघरा

6. रकबा है0 में :- 10.17 है0

5. আঁট র্মা০ :- 510, 511, 514, 515, 1076, 1077, 1078, 64, 65, 71, 69, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 114, 116, 117, 118 4. जिला का नाम :- गुमला

 पौधों की दूरी: - 2mx2m
 घेरान की लंबाई: -थौं की संख्या प्रति है0 : रोपे जाने वाले पोद्यों की सं0 :-

2500 25425

171.00 चेन

œ	6	5	4	a	2	1	В		10	1440	9		8	7	6	55	4	ω	2	1	A	-	क्र.सं	7. 40
विविध कार्य- छायांकन प्रचार, प्रसार मुद्रण संबंधित कार्य	सामग्री- बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	पौद्यों की सुरक्षा	दो कोड़नी निकौंनी आदि	वृक्षारोपण	अंश पौधशाला रात्रि प्रहरी सहित	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	योग ;	इन्द्री वॉईन्ट कार्य	योग :-	उपरिव्यय पर खर्च एवं आकिस्मिक व्यय 2%	योग :-	विविध कार्य- छायांकन प्रचार, प्रसार मुद्रण संबंधित कार्य	मृदा एवं जल संरक्षण – गली प्लिगिंग/सिल्ट रिटेशन/डैम/ कंदूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	सामग्री (पॉलीथीन थैली, बीज उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	अंश पौषशाला रात्रि प्रहरी सहित	ਸ੍ਵਰ ਚਾਧੰ− (0.3 ਸੀo X 0.3 ਸੀo X 0.3 ਸੀo) 2500 ਧਿਟ ∕ ਵੇo	गड्डा घेरान 6'X4'X4'— उपर की वौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी.) कुल 171 चेन	झाड़ी सफाई एवं कौपीसिंग	सर्वेक्षण एवं डिमार्केशन	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष	2	कार्य का विवरणी	7. मणदूरा प्रात मानव दिवस :-
	80	हे0	275 दिन	है0	हे0	<b>ह0</b>			g0		2%		g0 •	हे0	हे0	हे0	हे०	यो	है0	है0		3	कार्य इकाई	187.43 रूपये
0.00	0.00	2.00	275.00	55.00	55.00	32.50		0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	10.00	0.00	25.00	55.00	25.00	7.00	3.00	0.00	4	मानव दिवस	रूपये
150.00	3937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3525.00	0.00	3525.00	150.00	0.00	3375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AT SHELL	5	सामग्री रू० में	
0.00	0.00	374.86	51543.25	10308.65	10308.65	6091.48		0.00	0.00	23428.75	0.00	23428.75	0.00	1874.30	0.00	4685.75	10308.65	4685.75	1312.01	562.29		6	मजदूरी रू० में	इकाई दर
150.00	3937.00	374.86	51543.25	10308.65	10308.65	6091.48		0.00	0.00	26953.75	0.00	26953.75	150.00	1874.30	3375.00	4685.75	10308.65	4685.75	1312.01	562.29		7	कुल व्यय रू० में	
1525.50	40039.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	35849.25	0.00	35849.25	1525.50	0.00	34323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8	सामग्री रू० में	10.17
0.00	0.00	3812.33	51543.25	104838.97	104838.97	61950.30		0.00	0.00	991879.56	0.00	991879.56	0.00	19061.63	0.00	47654.08	104838.97	801263.25	13343.14	5718.49		9	मजदूरी रू० में	10.17 है0 के लिए प्रस्तावित राशि
1525.50	40039.29	3812.33	51543.25	104838.97	104838.97	61950.30		342309.00	342309.00	1048283.39	20554.58	1027728.81	1525.50	19061.63	34323.75	47654.08	104838.97	801263.25	13343.14	5718.49		10	कुल व्यय रू० में	त राश
0	0	20.34	275	559:35	559.35	330.525		0.00		5292.00	0.00	5292.00	0.00	101.70	0.00	254.25	559.35	4275.00	71.19	30.51		11	सृजित मानव दिवस	
																						13	अभ्युक्ति	

H:\Estimate 2500 plants modifiedEstimate of Medicinal Plant

	4		1	G		4		1	K		4		4	ω	2	_	E		4		3	2	-	D		6		5	4	3	2	- 0	2	U	0	1
を の	उपरिव्यय पर खर्च एवं आकरिमक व्यय 2%		पौधों की सुरक्षा	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)		उपरिव्यय पर खर्च एवं आकस्मिक व्यय 2%		पौधों की सुरक्षा	सम्पोषण कार्य (षष्टम वर्ष)		उपरिव्यय पर खर्च एवं आकरिमक व्यय 2%		घेरान की मरम्मती	पौद्यों की सुरक्षा	सामग्र ( उर्वरक, खद, रसायन आदि)	एक कोड़नी एवं निकौनी	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)		<b>उपरिव्यय पर खर्च एवं आकरिमक व्यय 2%</b>		पौद्यों की सुरक्षा	सामग्री ( चर्वरक, खद, रसायन आदि)	एक कोड़नी एवं निकौनी	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)		उपरिव्यय पर खर्च एवं आकिस्मिक व्यय 2%		मृत पौधों का बदलाव	घेरान की गरम्मती		सामग्री- बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि	एक कोड़नी एवं निकौनी	सम्मोषण कार्य (वदीय वर्ष)	CALCULA AL SA SIMINIA MA TO	चपरियाम पर खर्च पतं आक्रियक द्याम ७%	•
योग :-		योग :-			योग :-		योग :-			योग :-		योग :-						योग :-		योग :-			N. Carlotte		योग :-		योग :-						414	all a		योग :-
	2%		365 दिन			2%		365 दिन			2%		वेन	365 दिन	हे0	99 09			2%		365 दिन	है0	है0			2%		है0	घेन	365 दिन	हे0	हे0	- Committee of the comm	170	20%	The same
385 00	0.00	365.00	365.00		365.00	0.00	365.00	365.00		401.00	0.00	401.00	1.00	365.00	0.00	35.00		400.00	0.00	400.00	365.00	0.00	35.00		406.00	0.00	406.00	5.00	1.00	365.00	0.00	35.00	#19.00	110 50	000	419.50
0 00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00		1962.00	0.00	1962.00	0.00	1962.00	0.00		2402.00	0.00	2402.00	440.00	0.00	0.00	1962.00	0.00	100.00	108700	0.00	4087.00
68411 95	0.00	68411.95	68411.95		68411.95	0.00	68411.95	68411.95		74972.00	0.00	74972.00	187.43	68411.95	0.00	6560.05		74972.00	0.00	74972.00	68411.95	0.00	6560.05		76096.58	0.00	76096.58	937.15	187.43	68411.95	0.00	6560.05	10020.00	78626 89	0.00	78020.09
68411 95	0.00	68411.95	68411.95		68411.95	0.00	68411.95	68411.95		75722.00	0.00	75722.00	187.43	68411.95	750.00	6560.05		76934.00	0.00	76934.00	68411.95	1962.00	6560.05		78498.58	0.00	78498.58	1377.15	187.43	68411.95	1962.00	6560.05	021 10:00	82713 89	0.00	02/13.09
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7627.50	0.00	7627.50	0.00	0.00	7627.50	0.00		19953.54	0.00	19953.54	0.00	19953.54	0.00		24428.34	0.00	24428.34	4474.80	0.00	0.00	19953.54	0.00	7100110	41564 79	0.00	41504.79
68411 95	0.00	68411.95	68411.95		68411.95	0.00	68411.95	68411.95		135127.66	0.00	135127.66	32050.53	68411.95	0.00	66715.71		135127.66	0.00	135127.66	68411.95	0.00	66715.71		176709.00	0.00	176709.00	9530.82	32050.53	68411.95	0.00	66715.71		326983 82	0.00	320303.02
69780.19	1368.24	68411.95	68411.95		69780.19	1368.24	68411.95	68411.95		145610.26	2855.10	142755.16	32050.53	68411.95	7627.50	66715.71		158182.82	3101.62	155081.20	68411.95	19953.54	66715.71		205160.09	4022.75	201137.34	14005.62	32050.53	68411.95	19953.54	66715.71		375919.58	7370.97	300040.01
365.00	0	365.00	365		365.00	C	365.00	365		720.95	0	720.95	171	365	0	355.95		720.95	0	720.95	365	0	355.95		942.80	0	942.80	50.85	171	365	0.00	355.95		1744.57	0	111.01


The Contraction of the Contracti	143	002001.77	6/0133.9/	12726.00	3576.50		सकल योग :-
43		607001 07	00711.00	0.00	365.00	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	याग 🗀
		68411 95	20 11/83	200	20.00	2/0	उपरिव्यय पर खर्च एवं आकास्मक व्यय 270
0.00		0.00	0.00	000	000	700	
0.00		68411.95	68411.95	0.00	365.00		योग :-
		00411.90	08411.90	0.00	365.00	365 दिन	पौधों की सरक्षा
000		20444 05	2014				सम्पोषण कार्य (दसम वर्ष)
		0011100	00411.00	0.00	365.00		या :
0.00		68411 95	68411 05	3	200	1	जिपारव्यय पर खन्न एवं आकारमक व्यव 270
0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	20%	
0.00		68411.95	68411.95	0.00	365.00		योग :-
		08411.90	68411.95	0.00	365.00	365 दिन	पौधों की सरमा
000	-	2011105	200				सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)
TOTAL PARTY AND PROPERTY AND PR					000.00	STATE OF THE PERSON SERVICES	
0.00		68411.95	68411.95	0.00	365 00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	2%	नपरित्यय पर खर्च एवं आकिर्मिक व्यय 2%
		00710	00411.50	0.00	365.00		योग :-
0 00 68411.95		68411 05	2011102		00000	000	पाधा का सुरक्षा
0.00		68411.95	68411.95	0.00	365 00	उहर दिन	
	1						नाषण कार्य (अष्टम वर्ष)


नोट:— 1.चक्त प्रावकलन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड,रांबी के कार्यालय आदेश संख्या–34 दिनांक 19.05.2015 के आधार पर दस वर्षीय योजना तैयार की गयी हैं।


2. प्रवेश बिंदु कार्य हेतु दस वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15 % की राशि को प्रथम वर्ष (अग्रिम कार्य) में व्यय किया जायेगा।

11240.27	2624366.09	342309.00	44746.22	129423.42	2107887.45	योग:-	
303.00	69/80.19/	0.00	1368.24	0.00	68411.95	दशम वर्ष	10
365.00	69/80.19	0.00	1368.24	0.00	68411.95	नवम वर्ष	
365.00	69/80.19	0.00	1368.24	0.00	68411.95	अष्टम वर्ष	
365.00	69780.19 /	0.00	1368.24	0.00	68411.95	सप्तम वर्ष	
303.00	69780.19	0.00	1368.24	0.00	68411.95	षष्टम वर्ष	1
726.93	145610.26	0.00	2855.10	7627.50	135127.66	पंचम वर्ष	
720.95	158182.82	0.00	3101.62	19953.54	135127.66	चतुर्थ वर्ष	100
700.05	200100.09/	0.00	4022.75	24428.34	176709.00	तृतीय वर्ष	
047.07	3/5919.58	0.00	7370.97	41564.79	326983.82	द्वितीय वर्ष	
5292.00	1390592.39	342309.00	20554.58	35849.25	991879.56	प्रथम वर्ष	
कुल भानव ।दवस	कुल व्यय	प्रवेश बिंदु कार्य (रू०)	आकस्मिक व्यय(रू०)	सामग्री (रू०)	मजदूरी (रू०)	वर्ष	क0सं0
			MINIKI				









साझेदार से अभिप्राय उनके वैध्य उतराधिकारी वारीशान प्राधिकृत अभिकर्ता इत्यादी से भी है के बीच निम्नलिखत तथ्यों, शर्तों एवं दशाओं के आधार पर निष्पादित किया जाता है।

यह कि साझेदारगण पत्थरों का ब्यवसाय करने का निर्णय कर एवं उक्त निर्णय के तहत मौजा परतांगो, थाना कोडरमा थाना नं0 354 जिला कोडरमा के अर्न्तगत खाता नं0 20 बीस प्लौट नं0 02 दो रकवा 25 पच्चीस एकड जमीन पर सरकार के प्राधिकार से उत्खनन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु सरकार के प्राधिकार में आवेदित है जिसका मेमो नं0 10/2016....दिनांक 1.2:6:2016'वो जिला खनन कार्यालय कोडरमा है जिसमें तीनों साझेदारों का अपने अपने हिस्से के मुताबिक खनन पटटा प्राप्त करने हेतु वो आवश्यक खर्चे का वहन वो अन्य खर्चे का वहन किये है एवं आवश्यक खर्चों का वहन भी साझेदारगण भविष्य में अपने अपने हिस्से के मुताबिक करेगें।

यह कि साझेदारों के बीच उक्त ब्यवसाय को लेकर आपस में किसी प्रकार का मन मुटाव न हो, ब्यापार का संचालन ब्यवस्थित वो सुदृढ रूप से चले, साझेदारों के बीच किसी प्रकार का कानूनी दाव पेच ना रहे एवं साझेदारगण एक दूसरे के हक हिस्से वो प्रभुत्व में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा कानूनी अडचन उत्पन्न न करे, इसलिए साझेदारगण इस साझेदारी पत्र का निष्पादन कर एक दूसरे को करार करते है जो निम्न है:—

- यह कि उक्त फर्म रामचन्द्र मेहता मनोज कुमार मेहता अमिताभ कुमार ग्राम विघा पोस्ट फुलवरीया थाना नवलशाही जिला कोडरमा (झारखण्ड) के नाम से जाना जायगा जिसका मुख्यालय ग्राम विघा पोस्ट फुलवरीया थाना नवलशाही जिला कोडरमा है।
- 2. यह कि उक्त भू—खण्ड के लिए खनन पट्टा सरकार के प्राधिकार से साझेदारों के नाम से संयुक्त रूप से सरकार के प्रधिकार से प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग में लंबित है जो संयुक्त रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जा रहा है जिसमें सभी साझेदारों का अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में खनन विकास का खर्च (Mines development expenses) एवं अन्य खर्च अपने अपने हिस्से के मुताबिक निवेशित किये है वो करेगे। अतएव माईनिंग लीज पर प्रभुत्व सबों का अपने अपने हिस्से के मुताबिक रहेगा और माइनिंग लीज से संबंधित किसी प्रकार का निर्णय सबों के सहमति से किया जायेगा।
- उ. यह कि साझेदारगण भविष्य में भी अपने अपने हिस्से के मुताबिक पुंजी श्रम एवं अन्य साधनों का विवेष करेगे एवं साझेदारगण अपने अपने हिस्से के मुताबिक लाभ हानि के भागीदार होगे।
- 4. यह कि इस व्यवसाय के लिए सभी बही खाते प्रचलित कानून के मुताबिक व्यवसायिक केन्द्र में उपलब्ध रहेगें तथा रोज रोज का हिसाब किताब सभी लिखित रुप से रखा जायेगा जिसका निरीक्षण एवं अवलोकन सभी साझेदार जब चाहें कर सकेगें।
- उह कि इस व्यवसाय का प्रबंधन व्यवस्था एवं देख रेख वो सरकारी कार्यालय के कार्यों का निष्पादन साझेदार अव्वल रामचन्द्र मेहता किया करेगे जिसमें अन्य दो साझेदार के दिशानिर्देश वो सुझावों का सम्मान दिया करेगें।
- 6. यह कि इस साझेदारी ब्यवसाय साझेदारों का हिस्सा निम्न प्रकार से है:-


- क. श्री रामचन्द्र मेहता साझेदार प्रथम हिस्सा ४० % चालीस प्रतिशत,।
- ख. श्री मनोज कुमार मेहता साझेदार द्वितीय हिस्सा 35 % पैतीस प्रतिशत।
- ग. श्री अमिताभ कुमार तृतीय साझेदार हिस्सा 25 % पच्चीस प्रतिशत
- 7. यह कि इस भागीदारी व्यवसाय का वार्षिक लेखा जोखा प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को किया जायेगा अथवा समय समय पर भागीदारों की आम सहमित से वार्षिक लेखा जोखा का समय भी परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 8. यह कि वार्षिक लेखा जोखा करते समय सलाना बैलेन्स सीट तैयार किया जायेगा जिसमें सम्पति के लेन देन का स्पष्ट लेखा जोखा तथा उसी के आधार पर लाभ हानी भी होगा जिसमें सभी हिस्सेदार अपने अपने हिस्से के मुताबिक उसके अधिकारी होगें।
- 9. यह कि इस भागीदारी व्यवसाय कम्पनी के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा जो साझेदारों के आम सहमित से संचालीत होगा अथवा समय समय पर हिस्सेदारों की आम सहमित से जैसा निर्णय होगा उस निर्णय से संबंधित बैंक को लिखीत रुप से अवगत कराया जायेगा, और हिस्सेदारों की आम सहमित के आधार पर भी कम्पनी के खाते में जमा रकम की निकासी हो सकेगी।
- 10. यह कि सभी साझेदारों की आम सहमित से जरुरत महसुस होने पर किसी अन्य साझेदार को इस साझेदारी व्यवसाय को सफलता पूर्वक चलाने के लिए सामील किया जा सकेगा।
- 11. यह कि साझेदारगण कम्पनी की ओर से कम्पनी के नाम कोई बील चेक पेमेन्ट और भाउचर आदि प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगे अथवा कम्पनी एवं हिस्सेदारों के हक में जो भी काम हो उसे करने के अधिकारी होगें।
- 12. यह कि किसी भी साझेदार को <u>यदि स्वेच्छा से</u> इस साझेदारी व्यवसाय से अलग होना होगा तो इस आषय कि लिखित सूचना 6 माह पूर्व अन्य साझेदारों / फर्म को देंगे और व्यवसाय के तमाम लेन देन का हिसाब किताब कर उनके हिस्से में जो भी लेन देन होगा उसका हिसाब किताब कर लिया जायेगा और यदि अपना हिस्सा फर्म में ही इस्तिफा करेगे फर्म के बाहर किसी अन्य ब्यक्ति के सा<u>थ इस्तिफा नहीं</u> करेगे अगर फर्म वैसे साझेदार / साझेदारों का इस्तिफा लेने को राजी नहीं हो तो इस्तिफा करने वाले साझेदार किसी अन्य ब्यक्ति के साथ फर्म के साझेदारों के लिखित सहमित से इस्तिफा कर सकते है एवं इस्तिफाकर्ता ब्यक्ति का इस्तिफा से उक्त ब्यवसाय पर कोई प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 13. यह कि किसी साझेदार की आकिस्मक मृत्यु होने पर इस साझेदारी व्यवसाय पर इसका कोई प्रतिकुल असर नहीं पड़ेगा एवं मृतक साझेदार का उतराधिकारी या वारिसान इस साझेदारी व्यवसाय का स्वतः साझेदार बन जायेगा और उसे वही हक वो हिस्सा प्राप्त होगा जो मृतक साझेदार को प्राप्त था।
- 14. यह कि कोई भी साझेदार वैसा कार्य नहीं करेगे जिससे की इस साझेदारी व्यवसाय पर कोई प्रतिकुल असर पड़े अथवा व्यवसाय को हानि उठाना पड़े। अगर कोई साझेदार इस तरह के कार्या में लिप्त पाये जायेंगे तो इससे होने वाले क्षति के देनदार वे ही होगें।


- 15. यह कि साझेदारगण अपने अपने हिस्से के मुताबिक वांछित पूंजी का निवेश समय समय पर करेगे जो साझेदार समय पर पूंजी का निवेश नहीं करेगे तो अन्य साझेदारों का निर्णय वैसे सझेदार पर मान्य होगा।
  - 16. यह कि वैसे तथ्य जो इस साझेदारी पत्र में वर्णित नहीं किये जा सके है वे INDIAN PARTNERSHIP ACT 1932 के प्रावधानों के तहत एवं समय समय पर प्रभावी अधिनियम के तहत निर्देषित समझे जायेंगे।
  - 17. यह कि साझेदारगण को फर्म के सफल संचालन एवं विकास के लिए इस साझेदारी पत्र के नियम वो शर्ती में सर्वसम्मित से amendment करने की स्वतंत्रता होगी।
  - 18. यह कि साझेदारगण हर हालत में संयुक्त रुप से ही फर्म में पत्थरों का उत्खनन वो निष्कासन करने का काम करेगें खनन क्षेत्र का बॅटवारा भविष्य में नहीं होगा।
  - 19. यह कि अगर साझेदारें। के बीच उक्त ब्यवसाय को लेकर किसी प्रकार का मन मुटाव अथवा मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उसका शौर्हादपूर्ण वातावरण में निपटारा खनन कार्य जारी रखते हुए करेगे खनन कार्य किसी भी स्थिति में बन्द नहीं किया जायगा।
  - 20. यह कि यदि कभी साझेदारों के बीच कोई मतमेद या मनमुटाव इस व्यवसाय को लेकर पैदा हो जाए तो (Arbitration Act) के तहत साझेदार के द्वारा मनोनित पंचों के द्वारा उस विवाद का निपटारा किया जाएगा एवं पंचाट साझेदारों को मान्य होगा।

इसलिए साझेदारगण इस दस्तावेज के मजमुन को पढकर वो पढवाकर, सुन समझ कर, कबुल वो मंजुर कर गवाहन के समझ आज दिनांक 17 जुन 2015 ई0 मोकाम कोडरमा में अपना अपना हस्ताझर वो छाप बनाये जो वक्त समय पर काम आवे।

प्रारुप कर्ता— नागेश्वर मेहता ल0 सं0 21/98 मोकाम कोडरमा। मैं नागेश्वर मेहता तस्दीक करता हूँ कि पक्षकारण को मजमुन वसीका पढ़कर सुना वो समझा दिया, सुन समझ कर कबुल वो मंजुर कर मेरे समझ अपना अपना हस्ताक्षर बनाये। बाо कातिब

17/06/N 48





Ramchandon Mehter



भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र ELECTION COMMISSION OF INDIA IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम Elector's Name

पिता का नाम Father's Name

féri/ Sex

1.1.2009 को आयु Age as on 1.1.2009

KFR0416677

: मनोजकुमार मेहता : Manoj Kumar Mehta

: यदुनन्दन मेहता : Yadanandan Mehta

: yeu/ Male

: 38

पैसा : भ.सं. गुली/गोठ

बेहराडीह बेहराडीह थाना न० - 75 कोडरमा 825418 गर्वा/गी० अंद्रास्तरीह पोठ अंद्रास्तरीह पाना न० - 75 विद्या/पिन अंद्रिस्तरीह पाना न० - 75 H.No. 14 StrUMbhalla Post Off. Beharadih Thana Na0 - 75 District/Pin Kodarma 825418

Date ; 17.11.2010

19 - कोडरमा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer

for 19 - Kodarma Assembly Constituency

पता बंदलने पर, नये पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कुरहाने तथा उस पते पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए सम्बंधित फार्म में यह कार्ड नम्बर अवस्य लिख in case of change in address, mention this card No. in the relevant form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

KFR04160

McMelts.

पहचान का प्रमाण हैं, नागरिकता का नहीं।

- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त करें।

Aadhaar is proof of identity, not of citizenship.

To establish identity, authenticate online .

■ आधार देश भर में मान्य है।

Aadhaar is valid throughout the country. आधार भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।

Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.

X



Unique Identification Authority of India

पता: S/O: के के चौधरी, 105, रांची Address S/O: K.K.Choudhary, 105, पटना मार्ग, कोलटेक्ष मुहल्ला, Ranchi Paina Road, Collex Muhalla, कोडरमा, कोडरमा, झारखण्ड, 825410 Kodarma, Kodarma, Kodema, Jhakknand, 825410



# भारत सरकार

## नामांकन क्रम / Enrollment No 1124/60206/07092 Government of India

अमिताभ कुमार Amitabh Kumar S/O: K.K Choudhary 105

Ranchi Patna Road Coltex Muhalla Kodarma Kodarma Koderma Koderma Jharkhand 825410

Ref: 2329 / 06H / 2132814 / 2133130 / P



SH142531634FT



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

7768 7934 2228 - आम आदमी का अधिकार

Government of India भारत सरकार

Amitabh Kumar अमिताभ कुमार

जन्म वर्ष। Year of Birth : 1967 पुरुष। Male



Amzeabh Kumak



491 B 4621



#### निबंधन विभाग, झारखंड कोडरमा

जांच पर्चा-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

, aken No. 21								Token D	ate/Time: 17	7/06/2015 14:09:3
Presenter Na Stampable Do Document/Tra Special Type	me & Addres		Partnership Bigha, Ps Nawa 0 0	alshahi, Ko DO Sta		1^00 0	ndra Me		Entry 17 ges · 20	7/06/2015
Remarks / Oth Property Deta	ails:				Serial No b. ID	. 1		e-Stamp No.		
Anchal	Th.No.	Wrd/HIk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	H No	Category	Area	Min. Value

Other Property Details: Property Type Th. No. Wrd Mauza Location Area Rate Amount Party Details: SN P Type PAN/F Party Name Father/Husband Occup. Caste UID Address FIRST Ramchandra Mehta Chhotelal Mehta Business General Bigha, Ps.- Nawalshahi, Koderma Late Yadunandan Behradih, Ps.- Domchanch, 2 Party Manoj Kumar Mehta Business General Mehta Koderma Late Krishna Kumar Choudhary 3 Party Amitabh Kumar Business General Koderma, Ps.- Koderma, Koderma Lengrapipar, Ps.- Domchanch, Koderma 4 Identifier Pawan Kumar Mehta Arjun Mehta Business General Fee Details: SN Description Amount CHC **Net Amount** 1.000.00 10.00 1,010.00 SP 300.00 0.00 300.00 Total 1,300.00 10.00 1,310.00 Ram chandos nella जपरयुक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यो के अनुरूप है । दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर नवधन पूर्व सारांश में इंप्ट फार्म के अन्रूरूप डाटा इंट्रि की गई है | ऑप्रेटर का हस्ताक्षर न्वीकार किया ंसकी ्यान नवासी



### निबंधन विभाग, झारखंड कोडरमा

Token No.21 Token Date: 17/06/2015 14:09:33 Serial/Deed No./Year :3782/176/2015 Deed Type: Partnership

SN	Party Details	Photo	Thumb
1	Ramchandra Mehta Father/Husband Name:Chhotelal Mehta (FIRST PARTY) Bigha, Ps Nawalshahi, Koderma		
2	Manoj Kumar Mehta Father/Husband Name:Late Yadunandan Mehta (Party) Behradih, Ps Domchanch, Koderma		
3	Amitabh Kumar Father/Husband Name:Late Krishna Kumar Choudhary (Party) Koderma, Ps Koderma, Koderma		
4	Pawan Kumar Mehta Father/Husband Name:Arjun Mehta (Identifier) Lengrapipar, Ps Domchanch, Koderma		

Book No.	IV
Volume	5
Page	69 To 88
Deed No •	3782/176
Year	2015
Date	17/06/2015 14:28:31
	Registering Officer
	Registering Officer

Signature of Operator

		11:1
1	ज्याम वन खिमारी - परते	011 (गढीवाउ)
. /.	Date Page_	70
	अग्र दिनान ०८ 7/2015 की समय उ	असे दिश में
	मस्या देवी मण्डप प्रांगन में आभ वम द	निमति वेटर
	नी वास विभोर यादव अयय के अयम	रूता में किया
	जाया । वन संस्कृत अधितिसम् 1980 के	419 20101
	के अम्तर्शत वम यूकि अप यो जन के भाम	के में अन
	यामा जन जाती एवम अन्ये प्रम्परा वर	म मिन्नायी
	अभिग्नियम 2006 के आवधानी के अनु पा	wat of war
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	में भीजा - पर मांगों के खाला में 20 ए	100 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<u></u>	अभ के रहेण 25.11 एकेड होने पर रवनन	1.51
	ana de test to the second	48/01
1 6 3 50	अस्या में में भी अस्या में अस्या अस्याम द	744 3113 -
The second	बीरा, पोरर - फुल बरिया, वामा - नवल थाती,	14771-4)5CN
	के प्रका वित रवनन परा के समाय में अपम	वम सहमा
	यदस्य, भामीण जनता एवं बगहीं सुरिव्या की	राज्य प्रवाड
	2179 BYREAR SE	1993
	- न्यां के अ	ea.
7.72	विचायत, बगहो	6503
	SIMMANZALEO BALL	1 d)
	ाम वन समिति । ( ज्याभी यन	सीमात्री
2	21 % पार्व परवागी, गैवीबाद	11 316 915
(2)	21 421 416 A PS 16 1618	1/261
3	UÜ 21162	120.
(1)	5 H 5 B W	Vont
(5)	341d) a c5/112	
• (6)	(Manzx YIGA	
(6)	21 (4 4) 112 4164	(30)
(4)	(a) 3,15 A1 Ca	
(8)	यंगते यादिय ।	
(9)	all alled	08
(10)	YIIV	
1		
<b>V</b>		

गाम वन समिति- परतांत्री विवाह Page 2 2001 74/41 HENI (14) 21160 (15) 4160 (16) भावा। (17) 401121 रमें जमार (18) 19) ममीत कुं, भाष्व 20) ल उर्दू राजा (2) बि- मो- धारी देवी 122) (23) 21011 124 21 mm 2149 econt, dolar (26) 127 128) भारित

	No. of the second secon
(32)	LAIU Kusmax Yadav
(33)	RAMKUMAR
Cots.	5A 13114 all d
134)	सीत्राम अदिव
(35)	अशिद्य देवी
(36)	उसेंग हेवी
. 11	The same of the state of the st
(39)	MUNNI DOVI
(38)	हुलाय भरती
	1837 1818
(39)	अरवि-द, थाद्रव विकास विकास
(40)	systeet kumag
(41)	विकास विवेदार विकास विकास
(41)	sanjay yadav
(42)	(d2 2101)
	C. S.
(43)	313 27011
eays	0 0 00
(45)	Ashok KUMUY Yaday
* (46)	क्रमेश याहब
147)	े अरेरी राज
110	वार्डनं - 5 शहरच
78	ग्राम पंचायत वगड़ो हरिश्राप्तवप शास्त्र डोमचींच (कोडरमा)
*	

5/14 - 901 4/21 - 410 Date Page 4

व्यक्त की धार्यकर प्रताव सरवा !! -जाते की गयी । प्राव प्रथा 2: - भूभ प्रताम के उपरोक्त वर्गित एकर पर कोई भी अमुब्रियम अन भारी अमुक्तिक अति छंव अन्य परम्य गान वन वाकी वम भूमि पर मियास गरी करी है, म ही 120 का दावा है। 29मम परा प्रकारिवन 25.11 एडड है, जो सर्व सम्मत है पादित कियाजाया प्रकाव 3. 34रोबन रवमम परा प्लीक्ती छ 22012 पार्थ को 2) प्राप् प्राप्त होगा 29नम परा धर्म धरमात से पारित विभा अभा अध्यक्ष के यम्मवाद नामन के वाद केंद्रक के कार्य वाही समाद्र ही अभी तालियार्गरार्थ Top 1 शाम यन सि शाम वन समिति अलांगो. गैठीन पतांयो गैठीबाद きいし THE (my ) of pris